BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 09 दिसम्बर, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 27,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त देशराज पुत्र कन्हैयालाल निवासी ग्राम पाली परतापुर थाना खानपुर द्वारा वर्ष-2013 में थाना औरंगाबाद क्षेत्र निवासी एक युवती के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 29.09.2013 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं–189/2013 धारा 376(2)जी, 506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 20.10.2013 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 04 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 09.12.2024 को न्यायाधीश श्री वरुण मोहित निगम (मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-II जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त देशराज को 10 वर्ष का कारावास व 27,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विजय शर्मा व श्री कुश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।